भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 801

09 फरवरी, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों का डिजिटल डाटाबेस

801. श्री एम. शनमुगम:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पूरे देश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और बहु-राज्यीय सहकारी समितियों सहित, सहकारी समितियों के डिजिटल डाटाबेस को एकत्र करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न हितधारकों के उपयोग के लिए डाटाबेस कब तक तैयार हो जाएगा;

(घ) क्या देश में विभिन्न सहकारी समितियों में हुई अनियमितताओं और धन के गबन की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है या कोई जांच शुरू की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसी अनियमितताओं से निपटने और सहकारी समितियों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) एवं (ख) जी हां। वर्तमान में, सरकार के पास सहकारी समितियों, उनकी गतिविधियों, उनके सदस्यों, उनके वित्तीय विवरण, आदि के बारे में कोई अद्यतन प्रामाणिक डाटा भंडार उपलब्ध नहीं है। इसलिए, सरकार सहकारी समितियों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस विकसित करने की योजना बना रही है।

(ग) सरकार डाटाबेस के लिए मानकों, प्रक्रियाओं और वास्तुकला पर हितधारकों के साथ पहले ही परामर्श शुरू कर चुकी है।

(घ) से (च) देश में दो प्रकार की सहकारी संरचनाएं हैं यानी राज्य सहकारी समितियां और बहु-राज्य सहकारी समितियां। किसी एक ही राज्य में कार्यरत सहकारी समितियाँ संबंधित राज्य सरकार के कानूनों द्वारा शासित होती हैं। एक से अधिक राज्यों में कार्यरत सहकारी समितियां बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 39) के द्वारा शासित होती हैं। ऐसी सहकारी समितियों के संदर्भ में अनियमितताओं के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। एमएससीएस अधिनियम की धारा 86 के अंतर्गत 77 सहकारी समितियों को बंद करने के लिये कार्रवाई शुरु की जा चुकी है ।

****